झारखण्ड सरकार

आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय, झारखण्ड मंत्रालय, कल्याण कॉम्प्लेक्स, मोराबादी, राँची।

पत्रांक–01/मिशन UPSC(S.T.)–01/2025– 688

प्रेषक,

अजय नाथ झा, भा0प्र0से0
आदिवासी कल्याण आयुक्त।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक– 19-3-2025

विषय : – विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि संलग्न सूचना को राज्य के सभी प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः यथोक्त।

विश्वासभाजन,

19/3/25

आदिवासी कल्याण आयुक्त।

ज्ञापांकः 688 राँची, दिनांक : 19-3-2025

प्रतिलिपि : Director General, Centre for Good Governance, Hyderabad को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/3/25

आदिवासी कल्याण आयुक्त।

ज्ञापांकः 688 राँची, दिनांक : 19-3-2025

प्रतिलिपिः सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, झारखण्ड/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

19/3/25

आदिवासी कल्याण आयुक्त।

ज्ञापांकः 688 राँची, दिनांक : 19-3-2025

प्रतिलिपि : सरकार के सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

19/3/25

आदिवासी कल्याण आयुक्त।

झारखण्ड सरकार
आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, झारखण्ड राँची।

अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के लिए दिल्ली/नई दिल्ली में गुणवत्तापूर्ण कोचिंग हेतू आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए ई–कल्याण पोर्टल पर विभागीय पत्रांक 573 दिनांकः–25.02.2025 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश (पत्र के प्रति ई–कल्याण पोर्टल पर उपलब्ध है) अनुसार वित्तीय वर्ग–2024–25 के लिए निम्न प्रकार ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैः–

ऑनलाईन आवेदन की समय सीमाः–

क्रमांक	प्रक्रियात्मक कारवाई	कार्यवाही के लिए निर्धारित तिथि
1.	अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं के द्वारा आवेदन करने की तिथि	दिनांकः–19.03.2025 से 05.04.2025 तक

नोटः–1. मिशन यू0पी0एस0सी0 से संबंधित अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से निर्गत दिशा–निर्देश सं0–573 दिनांकः–25.02.2025 वेबसाइट http://eklyan.cgg.gov.in पर देखा जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व कृपया उक्त वेबसाइट पर दिए निर्देश को आवश्य देख लें।

2. निश्चित समय सीमा की समाप्ति के पश्चात् किसी प्रकार का आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. प्रत्येक छात्र/छात्रा आधार आधारित बैंक खाता KYC कराने के उपरान्त ही आवेदन करें।
4. एक से अधिक आवेदन पत्र भरने पर छात्र/छात्रा का आवेदन पत्र रद्द कर दिया जायेगा।
5. आवेदक को ऑनलाईन निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
6. आवेदक की न्यूनतम आयु 01 अगस्त 2024 को न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 36 वर्ष होना चाहिए। जन्म तिथि के सत्यापन हेतु वर्ग 10 का प्रमाण पत्र देना अनविार्य होगा।
7. आवेदक को स्नातक परीक्षा का अंक पत्र देना अनिवार्य होगा।
8. विभागीय पत्रांक–573, दिनांक–25.02.2025 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के कंडिका–4 के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
9. ऐसे आवेदक जो वर्तमान में किसी भी सरकारी सेवा में कार्यरत हों वे इस कार्य योजना के तहत आर्थिक सहायता हेतु पात्र नहीं होंगे। इस विषयक आदिवासी कल्याण आयुक्त झारखण्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र में घोषणा करना अनिवार्य होगा।
10. चयनित अभ्यार्थियों को अधिकतम 01 (एक) बार ही आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
11. ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि/अशुद्धि/गलत अथवा भ्रामक सूचना देने पर आवेदन रद्द कर दिया जायेगा।

25/3/25

आदिवासी कल्याण आयुक्त।